

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग-2

संख्या— /v-2-आ०-2016-60(आ०)/2015

देहरादून : दिनांक २६ मई, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से राज्य में हरिद्वार, उधमसिंहनगर, देहरादून एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों का वह भाग जिसमें कोई विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/नियंत्रण प्राधिकरण का विकास क्षेत्र (विनियमित क्षेत्र) के रूप में अधिसूचित नहीं है, को धारा ४ की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की घोषणा करते हैं।

2— राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिसूचित क्षेत्र में निम्न क्षेत्र सम्मिलित नहीं होंगे:-

(क) घोषित विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र/विनियमित क्षेत्र।

(ख) छावनी क्षेत्र/स्थापना/भारत सरकार एवं रक्षा मंत्रालय के अधिष्ठान/स्थानीय विकास क्षेत्र।

(आ० मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रभारी सचिव

संख्या— /v-2-आ०-2016-60(आ०)/2015— तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित की कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-4 में प्रकाशित कराकर उसकी 20 प्रतियां आवास विभाग में तथा 20 प्रतियां उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा द्वे,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या— ७१६(२) /v-2-आ०-2016-60(आ०)/2015— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1— सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग को उनके पत्र संख्या-11.03.2016 के क्रम में।
- 2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 3— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 6— सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 7— वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 8— निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 9— निजी सचिव, मा० आवास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
- 10— निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 11— गार्ड फाईल।

आज्ञा द्वे,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of NOTIFICATION No. 794/v-2-awas-2016, dated 26 May, 2016

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
HOUSING SECTION -2
NO. 794/v-2-awas.-2016-60 (awas)/2015
Dehradun : Dated 26 May, 2016

NOTIFICATION

In exercise of the power's conferred by Section 3 of the Uttarakhand Urban and Country Planning and Development Act, 1973, the Governor is pleased to declare the area outside the notified development areas of the Development Authorities/ Special Area Development Authorities and Regulated Areas of Controlling Authority, i.e. the part of the plain areas of Districts Haridwar, Udhampur, Dehradun and Nainital, where no development area/regulated area of Development Authority/ Special Area Development Authority/ Controlling Authority is notified, as the development area of the Uttarakhand Housing and Urban Development Authority duly constituted under Sub Section (1) of the said Act with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette.

2. The Governor is further pleased that following areas will not be included in the a for said mentioned notified development area :-

- (a) Declared Development Area/ Special Development Area/ Regulated Area.
- (b) Cantonment Area/ Establishments/ areas of Government of India and Ministry of Defence/ Local Development areas.


(R. MEENAKSHI SUNDARAM)
SECRETARY-IN-CHARGE

o/2